संख्या- 4/2025/1741/छप्पन-2024-18/2002 टी0सी0-1

प्रेषक,

अभिनव कुमार चौरसिया,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ, दिनांक: 07 जनवरी, 2025

विषयः नो-फ्रिल्स एयरपोर्ट, मुरादाबाद के विकास की परियोजना की अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 210/आर0सी0एस0-2024-यू0पी0आर0एन0एन0/2018 दिनांक 04.11.2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मुरादाबाद नो-फ्रिल्स एयरपोर्ट के विकास की परियोजना की पुनरीक्षित लागत 2419.73 लाख के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि रू0 2223.1145 लाख का उपयोग करते हुए कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य पूर्ण कराकर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को हस्तांतरण कराने की सूचना देते हुए लम्बित देनदारियों के भुगतान हेतु अवशेष धनराशि रू0 196.6155 लाख (रूपए एक करोड़ छियान्नबे लाख इकसठ हजार पाँच सौ पचास मात्र), जिसमें पूर्व की शेष धनराशि रू0 75.629 लाख व परियोजना की शेष 5 प्रतिशत धनराशि रू0 120.9865 लाख सम्मिलित है, की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2- सूच्य है कि शासनादेश संख्या- 31/2023/277/007-56-1099-198-2019 दिनांक 20 मार्च, 2023 द्वारा पुनरीक्षित लागत रू0 2419.73 लाख पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में नो-फ्रिल्स एयरपोर्ट, मुरादाबाद के विकास की परियोजना की अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने हेतु धनराशि रू0 196.6155 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए धनराशि रू0 196.6155 लाख/- (रूपए एक करोड़ छियान्नबे लाख इकसठ हजार पाँच सौ पचास मात्र) अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

I. निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।

II. निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, नागरिक उड्डयन की होगी।

III. निदेशक, नागरिक उड्डयन यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

IV. बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

V. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

VI. निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

VII. उक्त स्वीकृति धनराशि के आहरण एवं व्यय से सम्बन्धित पक्षों द्वारा वित्तीय नियमों/ आदेशों/प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

VIII. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।

IX. निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय का विवरण यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

X. प्रश्नगत स्वीकृति मानक के सम्बन्ध में निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पाई जाती है तो इसका उत्तरदायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा।

XI. निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 04 मार्च, 2024 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 04 मार्च, 2024 के प्रस्तर-2(10)(ख)(III) में उल्लिखित व्यवस्था अनुसार बकाया 5 प्रतिशत की राशि को अवमुक्त करने की कार्यवाही निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा परियोजना के कार्य पूर्ण होने तथा उसकी गुणवत्ता से संतुष्ट होने के उपरांत की जाये।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 196.6155 लाख/- (रूपए एक करोड़ छियान्नबे लाख इकसठ हजार पाँच सौ पचास मात्र) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा तत्काल आवंटित कर सम्बन्धित पक्ष को नियमानुसार भुगतान किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- प्रश्नगत धनराशि वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-38 के अधीन पूंजी लेखा लेखा शीर्ष ''5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-20-हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन-24 वृहत् निर्माण कार्य'' से वहन की जाएगी।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या: ई-7-217/दस-2024-2025, दिनांक 03 जनवरी, 2025 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव।

संख्या- 4/2025/1741(1)/छप्पन-2024, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) उप महालेखाकार/ई0एस0-।।। आडिट भवन टी0सी0-35-वी-1 विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
(3) जिलाधिकारी, मुरादाबाद ।
(4) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
(5) मुख्य कोषाधिकरी, जवाहर भवन, लखनऊ/ मुरादाबाद ।
(6) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
(7) समीक्षा अधिकारी (बजट)/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।